



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM &
COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)


सं. अ. सं./क्र./295/2020

दिनांक : 30/09/2020

// सूचना //

संबद्ध अध्ययन संस्थाओं की ओर से विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों की कक्षाएँ प्रारंभ किए जाने की अनुमति विषयक आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इस विषय में कृपया अवगत हों कि वर्तमान में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 744/283/आउशि/शा.-5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 29/09/2020 द्वारा केवल महाविद्यालय स्तर पर ऑन-लाईन कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। फिलहाल छात्रों के प्रवेश नामांकन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए संबद्ध संस्थानों को कार्यालयीन समय में खोला जा सकता है। साथ ही ऑन-लाईन कक्षाओं का संचालन संबद्ध अध्ययन संस्थाओं से किया जा सकता है।

अतः समस्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे शासन के आदेश अनुरूप कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑन-लाईन कक्षाओं के माध्यम से ही शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य संचालित करने का प्रयास करें।


(डॉ. अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी, कुलसचिव